अस्तित में नावान् विवान







हाल ही में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा लेन-देन प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले अधिक होने के कारण, बैंकों ने दैनिक सीमा तय कर दिया है। यह सीमा 2021 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा पहले से लगाई गई सीमा से अधिक हैं।





Follow Us: <a>O <a>O <a>O <a>D <a>O <



विवरण

वर्तमान में.

उपयोगकर्ता एक दिन में एक साथ या पूरे दिन में 20 लेनदेन या 1 लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं। लेन-देन की कुछ विशिष्ट श्रेणियों, जैसे-पूंजी बाजार, संग्रह (जैसे बिल, अन्य में), बीमा और अग्र आंतरिक प्रेषण के लिए सीमा 2 लाख रुपये है। दिसंबर 2021 में यूपीआई-आधारित एएसबीए (अवरुद्ध राशि युक्त अप्लीकेशन) आईपीओ और खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं की सीमा को प्रत्येक लेनदेन के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था।

03

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

02

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा वर्ष 2008 में, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत शुरू किया गया एक अम्ब्रेला संगठन है।

01

वर्ष 2016 में, इसके प्रतिनिधित्व क्षेत्र को बढ़ाते हुए अन्य और बैंकों को शामिल किया गया अब इसकी संख्या **56 सदस्य बैंको** तक पहुंच गयी।

03

भुगतान प्रणाली जो एनपीसीआई संचालित कर सकती है, उनमें नेशनल फाईनेंसियल स्विच (NFS), तत्काल भुगतान प्रणाली आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (NACH) शामिल हैं।

05

एनपीसीआई ने हाल ही में प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) पर लागू एक नए इंटरचेंज शुल्क (2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत) को अधिसूचित किया है।

07

12 बैंकों के एक संघ के स्वामित्व वाले NPCI का उद्देश्य मजबूत भुगतान और निपटान प्रणाली बनाना है।

NPCI की वेबसाइट के अनुसार आरबीआई द्वारा विनियमित नई संस्थाओं को वर्ष 2020 में शामिल किया गया था, जिसमें भुगतान सेवा संचालकों, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक शामिल थे।

इसने रुपे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS), भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे उत्पादों को भी शुरू किया है।

इंटरचेंज शुल्क P2P और P2M बैंक खाते और पीपीआई वॉलेट के बीच लेनदेन पर लागू नहीं होगा।

NPCI की मूमिकाएं और जिम्मेदारियां



एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का स्वामी और संचालनकर्ता है।

02

एनपीसीआई यूपीआई के संबंध में नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और प्रतिभागियों की संबंधित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और देनदारियों को निर्धारित करता है। इसमें लेनदेन प्रक्रिया और निपटान, विवाद प्रबंधन और निपटान हेतु क्लियरिंग कट-ऑफ भी शामिल हैं।

03

यह यूपीआई जारीकर्ता बैंकों, पीएसपी बैंकों, थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स (TPAP) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्युअर (Prepaid Payment Instrument issuers-PPIs) की भागीदारी को मंजूरी देता है।

04

यह एक सुरक्षित, भरोसेमंद और कुशल यूपीआई सिस्टम और नेटवर्क प्रदान करता है।

05

यह यूपीआई में भाग लेने वाले सदस्यों को ऑनलाइन लेनदेन मार्ग, प्रक्रिया और निपटान सेवाएं प्रदान करता है।

06

एनपीसीआई प्रत्यक्षा रूप से या तीसरे पक्ष के माध्यम से यूपीआई प्रतिभागियों पर ऑडिट कर सकता है और यूपीआई में उनकी भागीदारी के संबंध में डेटा, सूचना और रिकॉर्ड मांग सकता है।

07

यह यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों को सिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है, जहां वे रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चार्जबैक बढ़ा सकते हैं, यूपीआई लेनदेन की स्थिति को अद्यतन आदि कर सकते हैं।

NPC। यूपीआई से संबंधित समस्यों का समाधान करता है

यूपीआई ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने के लिए, NPCI के विवाद निवारण तंत्र पोर्टल पर जाना होगा। शिकायत विभिन्न प्रकार के लेन-देन से सम्बंधित किया जाता है, जिसमें फंड ट्रांसफर और मर्चेंट लेनदेन शामिल हैं।







लेन-देन आधारित समस्या: जिन ग्राहकों को व्यापारियों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे एनपीसीआई से संपर्क कर सकते हैं। इसमें निम्न समस्याये शामिल हैं: दूसरे खाते में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण, लेन-देन विफल किन्तु पैसा डेबिट हो गया, लेनदेन की सीमा पार होना, लेनदेन लंबित/अस्वीकृत और लेनदेन का समय समाप्त हो जाना।



पिन आधारित समस्या: जो ग्राहक यूपीआई पिन सेट करने में असमर्थ हैं, पिन त्रुटि और पिन अवरुद्धता का सामना कर रहे है, वे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए बैंक विवरण, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA), ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ एनपीसीआई से संपर्क कर सकते हैं।



अन्य समस्या: यह ग्राहकों को निम्न शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है-यदि वे खातों को देख या लिंक नहीं कर सकते हैं, यूपीआई को हटाना या अपंजीकृत करना चाहते हैं और शिकायत दर्ज कर सकतें हैं।



National Payments Corporation of India

The regulatory board of the NPCI headquartered in Mumbai





Recently as the transactions facilitated by the Unified Payments Interface (UPI) breach record highs, banks have opted for daily limits. These are over and above the already imposed ceilings mandated by the facilitator, the National Payments Corporation of India (NPCI) in 2021.





Follow Us: <a>O <a>O <a>O <a>D <a>O <



About

can make up to 20 transactions or Rs 1 lakh in a single day either all at once or through the day

At present, users

For certain specific categories of transactions such as the capital markets, collections (such as bills, among others), insurance and forward inward remittances, the limit is Rs 2 lakh

For certain specific categories of transactions such as the capital markets, collections (such as bills, among others), insurance and forward inward remittances, the limit is Rs 2 lakh

National Payments Corporation of India (NPCI)

The National Payments Corporations of India (NPCI) is an umbrella organisation launched in 2008 by the Reserve Bank of India and the Indian Banks' Association (IBA) under the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

01

In 2016, the shareholding was broadbased to 56 member banks to include more banks representing all sectors.

03

Payment systems that the NPCI can operate include National Financial Switch (NFS), Immediate Payment System (IMPS), Aadhaar-enabled Payments System (AEPS) and National Automated Clearing House (NACH).

05

The NPCI has recently notified a new interchange fee (1.1 per cent for transactions over Rs 2,000) applicable to Pre-Paid Instruments (PPI).

02

The NPCI, owned by a consortium of banks, is aimed at creating robust payments and settlement systems.

04

According to the NPCI website, new entities regulated by the RBI were inducted in 2020, consisting of Payment Service Operators, payment banks, and Small Finance Banks.

06

It has also launched products including RuPay, Bharat Bill Payment System (BBPS), Bharat Interface for Money (BHIM), and Unified Payments Interface (UPI).



Interchange shall not be applicable to P2P (peer to peer) and P2M (peer to 08 merchant), transaction between bank account and the PPI wallet.

Roles and Responsibilities of NPCI



The NPCI owns and operates the Unified Payments Interface (UPI).

02

The NPCI prescribes rules, regulations, guidelines, and the respective roles, responsibilities and liabilities of the participants, with respect to UPI. This also includes transaction processing and settlement, dispute management and clearing cut-offs for settlement.

03

It approves the participation of Issuer Banks, PSP Banks, Third Party Application Providers (TPAP) and Prepaid Payment Instrument issuers (PPIs) in UPI.

04

It provides a safe, secure and efficient UPI system and network.

05

It provides online transaction routing, processing and settlement services to members participating in UPI.

06

The NPCI can, either directly or through a third party, conduct audit on UPI participants and call for data, information and records, in relation to their participation in UPI.

07

It provides the banks participating in UPI access to system where they can download reports, raise chargebacks, update the status of UPI transactions etc.

NPCI Addresses Issues Related to UPI

The UPI customers have to head to the NPCI's dispute redressal mechanism portal to file complaints. It can be raised for types of transactions, including fund transfers and merchant transactions.







Transaction based issues: Customers who encounter issues while processing a fund transfer with merchants or another individual, can approach the NPCI. The type of issues includes: indirect transfer to another account, transaction failure but money debited, threshold exceeded, transaction pending/declined, and transaction timed out.



Pin based issues: Customers who are unable to set a UPI PIN, face PIN error, and blocked PIN can approach the NPCI with bank details, virtual payment address (VPA), email, and mobile number to file their complaint.



Other issues: It allows customers to file complaints if they could not fetch or link accounts, remove or de-register UPIs, and seek redressal.

